न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
ठासीन अधिकारीः– जय कौशिक आर.ए.एस.
करण संख्याः– 37/2023
दपत्र अन्तर्गत धारा :– 88/53 आरटीए

अरविन्द सिह पुत्र बलतेज सिह जाति नाई निवासी ढाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
विरेन्द्र सिह पुत्र बलतेज सिह जाति नाई निवासी ढाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

वादीगण

बनाम

1. बलतेज सिह पुत्र जेला सिह जाति नाई निवासी ढाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. सुखविन्द्र कौर पत्नी बलतेज सिह जाति नाई निवासी ढाबा तहसील संगरिया।
3. कमलदीप कौर पुत्री बलतेज सिह पत्नी साजन जाति नाई निवासी ढाबा तहसील संगरिया।
4. शाखा प्रबन्धक पी.एन.बी.बैक शाखा ढाबा (नाम कलमजन)
5. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1– श्री बलवीर सिहाग वकील वादी
2– श्री प्रवीण बेरड़– वकील प्रति सं. 1 ता 3
3– तहसीलदार राजस्व संगरिया– राज–पैरोकार प्रति.संख्या 3

निर्णय दिनांक :– 13.11.2023

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88/53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि वादीगण व प्रतिवादीगण का पंजीयन पता व्यवहार प्रक्रिया सहिंता के प्रावधानों के अनुसार वही है जो वादपत्र के शीर्षक में दर्शाया गया है। वादीगण व प्रतिवादी एक ही परिवार के सदस्य हैं। वादीगण के पिता व दादा के नाम से चक नं. 2 बीजीपी के खाता सं 27/0 जं.सं. 2072–2075 में 1.658 हैक्ट. व इसी चक के खाता सं. 44/36 जं.सं. 2071–2074 में 0.759 हैक्ट. चक नं. 1 एस.एन.जी. के खाता सं. 31/5 जं.सं. 2071–2074 में 1.533 हैक्ट. व इसी चक के खाता सं. 71/10 में 1.025 हैक्ट. इसी चक के खाता सं. 21/8 में 4.048 कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त खातों की जमाबन्दीयां सलग्न वाद–पत्र है। वादीगण व प्रतिवादी एक ही परिवार क़े सदस्य हैं। वादीगण के दादा का देहान्त हो चुका है उक्त भूमि वादीगण के पिता प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में हक त्याग हो चुका हैं जिसका नामान्तरण नहीं हुआ हैं। उक्त कृषि भूमि का वादीगण व प्रतिवादी ने अच्छी–मंदी अनुसार घरू विभाजन काफी समय पूर्व कर लिया था मुताबिक घरू विभाजन कि वादी अपनी–अपनी भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। मुताबिक घरू भिवाजन वादीगण अपना खाता अलग व कायम करवाने के अधिकारी व दावेदार है। वादीगण के हक व हिस्सा की भूमि निम्न प्रकार हैः– वादी सं. 1 अरविन्द सिंह के हक व हिस्सा की भूमिः– चक नं. 2 बीजीपी 27/0 213/147 54 16/0.253है., 17/0.127है, 25/0.253 है. 1.658 है0 मय.गै.मु. रास्ता 214/147 55 21,22/0.253है.प्र., 23/1/0.126 है, 214/148 57 23/2/0.038 गै.मु. रास्ता, 24 / 0.013 है. गैर.मु., 1/1/0.190है, 1/2/0.038 है. गैर.मु., 2/1/0.076 है,2/2/0.025 है. गैर.मु., 10/0.013है. 2 बीजीपी 44/36 213/146 49 25/0.253 है. 0.759 हैक्ट. 213/147 54 5,6/0.253 है.प्र. 1 एस.एन.जी. 71/10 217/148 26 14/2/0.1375 है., 17/2/0.1375है., 24/2/0.117है. 0.392 हैक्ट.कुल योग 2.809 हैक्ट. मय.गै.मु.रास्ता एव वादी सं. विरेन्द्र सिहं के हक व हिस्सा की भूमिः– चक नं. 1 एस.एन.जी. 71/10 218/149 29 1/2/0.127है.,2,3/0.506है. 0.633 हैक्ट. 1 एस.एन.जी. 21/8 217/146 10 25/1/0.126 है.,25/2/0.046है. 217/147 17 3 /1/0.051 है.,3/2/0.030 है. गैर.मु., 4/1/0.240 है.,4/2/0.013है. गैर.मु. 7,8/0.506 है. 1 एस.एन.जी. 31/5 218/148 27 16/1/0.164है., 16/2/0.038 है. गैर.मु., 2.925 हैक्ट. मय गैर.मु. 17,18/0.253है.प्र., 23/1/0.215है., 23/2/0.038 है. गैर.मु. 24/1/0.177है., 24/2/0.045 है.

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

.मु., 218/149 29 25/1/0.013है., 25/2/0.008 है. गैर.मु. रास्ता 4/1/0रू051है.,4/2/0.025 गैर.मु. कुल योग 2.925 हैक्ट. मय गैर.मु. वादपत्र की चरण सं. 2 में वर्णित भूमि वादीगण के पिता व ादा के नाम है वादीगण जिसके विरासतन वारिस हैं। उक्त कृषि भूमि में वादीगण का जन्मजाति से हक ा हिस्सा बनता हैं। वादीगण ने प्रतिवादी गण से कईबार निवेदन किया है वादीगण को वादपत्र की चरण सं. 4 के अनुसार खातेदार काश्तकार मानकर वाद–पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार खाता अलग कायम करवा दो तो प्रतिवादीगण पहले तो टालमटोल करते रहे किन्तु बाद में पिछले सप्ताह वादी की बात मानने से कतई इन्कार हो गए बस यही वाद करण है। प्रतिवादी स. 4 के पक्ष में रकवा रहन होने के कारण पक्षकार बनाया गया हैं व प्रतिवादी संख्या 5 को लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। इनसे कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। वादपत्र बाबत घोषणा व तकसीम खाता का है जो 2 रूपये के स्टाम्प शुल्क पर पेश है व अन्दर मियाद है व माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है।

अतः वादपत्र प्रस्तूत कर निवेदन है कि बाद तहकीकात कर वाद वादी निम्न प्रकार से डिकी फरमाया जावें कि वादीगण का खाता वादपत्र की चरण सं. 3 के अनुसार खाता अलग कायम किया जाकर रकमजज अलग कायम की जावें एव चक नं. 2 बी.जी.पी के खाता सख्या 27/0 में जैला सिंह का नाम एवं इसी चक के खाता सं. 44/36 में प्रतिवादी सं. 1 बलतेज सिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी सं. 1 के नाम दर्ज कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे कि चक नं. 1 एस.एन.जी. के खाता सख्या 31/5 में बलतेज सिंह के नाम से 1. 533 है. में से 1.280 है. कम कर वादी सं. 2 के नाम दर्ज किया जावें व वादी सं. 2 के नाम 1 एसएनजी के खाता सं. 21/8 से 1.012 है. व इसी चक के खाता सं. 71/10 में बलतेज सिंह का नाम कलमजन कर वादी सं. 1 के नाम 0.392है. वादी सं. 2 के नाम से 0. 633है. दर्ज किया जावें व प्रतिवादी सं. 1 बलतेज सिंह का इतना ही हिस्सा कम किया जावें।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर अपना राजीनामा पेश कर वाद को स्वीकार किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। वकील वादी ने फार्म नं. 3 के साथ चक 1 एसएनजी नामान्तरण दिनांक 14.08.87 व चक 1 एसएनजी खाता संख्या 21/34 जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 एवं चक 2 बीजीपी खाता संख्या 27/86 जमाबन्दी सम्वत 2072–2075, चक 1 एसएनजी नामान्तरण सख्या 559 दिनांक 01.10.2025, चक 2 बीजीपी नामान्तरण संख्या 781 दिनांक 01.10.2025 फोटो प्रति पेश की गई। वकील वादी एवं प्रतिवादीगण प्रकरण में राजीनामा पेश हो जाने के कारण अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं करने के कारण साक्ष्य वादी एवं प्रतिवादी बन्द किये गये।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि चक 2 बीजीपी खाता संख्या 27/36 जमाबन्दी सम्वत 2072–2075, चक 1 एसएनजी खाता संख्या 21/34 जमाबन्दी सम्वत 2072–2075, में दर्ज है जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वाद में वादी व प्रतिवादी आपस मे सहमत है और राजीनामा भी पेश हो चुका है एवं वादीं के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। तथा वकिल प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने भी वाद पत्र को मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु अपनी सहमति दौराने बहस दी गई।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वाद पत्र में वर्णितानुसार चक 2 बीजीपी खाता संख्या 27/36 जमाबन्दी सम्वत 2072–2075, चक 1 एसएनजी खाता संख्या 21/34 जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 में वादग्रस्त आराजी दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादी सख्या 1 ता

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
मंगरिया

ने जरिये अधिवक्ता राजीनामा पेश कर अपना हक/हिस्सा अनुसार घरू बंटवारा कर लिया है। जिसकी वाद पत्र के तथ्यों से पुष्टि हो रही है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादी के वाद का प्रतिवादी ने कोई विरोध नहीं किया गया। प्रकरण में राजीनामा पेश हो चुका है। परिणाम स्वरूप वाद वादी मुताबिक राजीनामा अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है:–

क्रियात्मक आदेश

अतः उक्त विवेचन के आधार वादी का वाद पत्र मुताबिक राजीनामा निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि वादीगण को निम्नानुसार आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी संख्या 1 इसी अनुसार हिस्सा कम/नाम कलमजन करने तथा वादीगण का खाता निम्नानुसार अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है:–

1. वादी संख्या 1 अरविन्द सिह के हक व हिस्सा में आई कृषि भूमि :–

चक 2 बीजीपी		
पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नं.
213/147	54	16/0.253, 17/127, 25/0.253,
214/147	55	21,22/0.253, 23/1/0.126, 23/2/0.038 गै.मु.रास्ता 24/0.013 है.गै.मु.
214/148	57	1/1/0.190, 1/2/0.038, गै.मु. 2/1/0.076 है. 2/2/0.025 है.गै.मु. 10/0.013 है.
चक 2 बीजीपी के खाता संख्या 44/36		
213/146	49	25/0.253
213/147	54	5,6/0.253 है.प्र.
चक 1 एसएनजी		
217/148	26	14/2/0.1375, 17/2/0.1375, 24/2/0.117,

2. वादी संख्या 2 विरेन्द्र सिह के हक व हिस्सा में आई कृषि भूमि :–

चक 1 एसएनजी के खाता संख्या 71/10		
पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नं.
218/149	29	1/2/0.127, 2,3/0.506,
चक 1 एसएनजी		
217/146	10	25/1/0.126, 25/2/0.046,
217/147	17	3/1/0.051, 3/2/0.030, गै.मु. 4/1/0.240, 4/2/0.013 है.गै.मु. 7,8/0.506 है.
चक 1 एसएनजी		
218/148	27	16/1/0.164, 16/2/0.038, गै.मु., 17,18/0.253 है. 23/1/0.215, 23/2/0.038 गै.मु. 24/1/0.177, 24/2/0.045 गै.मु.25/1/0.013, 25/2/0.008 गै.मु.रास्ता
218/149	29	4/1/0.051, 4/2/0.025 गै.मु.

अतः पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 13.11.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया